भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2910
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक

2910. सुश्री सयानी घोषः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) द्वारा हाल ही में कुछ मोबाइल सिम कार्डों में चीनी चिपसेट होने से जुड़ी जानकारी है और यदि हाँ, तो ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और इनमें कौन-कौन से दूरसंचार ऑपरेटर या विक्रेता शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित जोखिम के कारण पुराने सिम कार्डों को देशव्यापी स्तर पर बदलने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के लिए इस तरह के बदलाव के तकनीकी-कानूनी और वित्तीय प्रभावों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अनधिकृत या अस्वीकृत आयात को रोकने के लिए, सिम कार्ड सहित दूरसंचार संघटकों की विश्वसनीय स्रोत से प्राप्ति और निरंतर संपरीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार साइबर सुरक्षा खतरों और चीनी आयात पर निर्भरता से बचने के लिए ई-सिम (एम्बेडेड सिम) का उपयोग करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

क) एनएससीएस द्वारा सूचित किया गया है कि "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक" का उल्लेख करते हुए उठाया गया मुद्दा एनएससीएस द्वारा जारी दूरसंचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (एनएसडीटीएस) के कार्यान्वयन से संबंधित है जिसे डिप्टी एनएसए की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समिति (एनएससीटी) द्वारा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। इनपुट, विचार-विमर्श और निष्कर्षों के आधार को गुप्त माना जाता है और इनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

ख) वर्तमान में, पुराने सिम कार्डों को देशव्यापी स्तर पर बदलने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

ग) भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत में प्रश्न ही नहीं उठता।

घ) अनधिकृत या अस्वीकृत आयात को रोकने के लिए दूरसंचार घटकों की विश्वसनीय सोर्सिंग और निरंतर ऑडिटिंग को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (एनएसडीटीएस) को अनुमोदित** किया। इसमें यह अधिदेशित है कि भारत में सभी **दूरसंचार कंपनियों** को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की संरक्षा के लिए **केवल "विश्वसनीय विक्रेताओं" से प्राप्त "विश्वसनीय उत्पादों" की खरीद और स्थापना** करनी होगी। दूरसंचार विभाग ने अनुपालन को सुगम बनाने के लिए **विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल** (trustedtelecom.gov.in) लांच किया।

ii. सरकार ने लाइसेंसधारकों द्वारा अपने नेटवर्क में दूरसंचार उपकरणों की खरीद और संस्थापना से संबंधित विशिष्ट शर्त को शामिल करने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल), यूएल (वीएनओ), यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस और स्टैंडअलोन लाइसेंस सहित विभिन्न लाइसेंस करारों में संशोधन किया है। इस शर्त में यह अधिदेशित है कि दिनांक **15.06.2021** से लाइसेंसधारकों को अपने नेटवर्क में केवल *विश्वसनीय उत्पादों* को कनेक्ट करने की अनुमति है - जैसा कि *अभिनामित प्राधिकारी* (अर्थात्, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक) द्वारा **विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल** पर अधिसूचित किया गया है। लाइसेंसधारकों को विश्वसनीय उत्पादों के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करके मौजूदा नेटवर्क के किसी भी उन्नयन या विस्तार के लिए अभिनामित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, उपर्युक्त

प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइसेंसधारकों को प्रत्येक वर्ष **1 जनवरी** और **1 जुलाई** को **सरल संचार पोर्टल** के माध्यम से **अर्द्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट** प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विनिर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए **दूरसंचार विभाग (डीओटी) की लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) की फील्ड इकाइयों द्वारा दूरसंचार कंपनियों का ऑडिट** किया जाता है।

iii. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएं (आईटीएसएआर) जारी की है - जो सुरक्षित और विश्वसनीय संचार अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार उपकरणों के लिए आधारभूत सुरक्षा आवश्यकताओं का सेट है - जिसमें सिम, यूसिम और अन्य (यू) आईसीसी-आधारित एप्लीकेशंस/एप्लेट्स सहित सभी प्लगेबल (यू) आईसीसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सिम कार्ड दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) के अंतर्गत आते हैं – इस स्कीम के तहत भारतीय तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार उपकरणों का परीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इसके अलावा, वर्ष 2021 में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार घटकों की विश्वसनीय सोर्सिंग और निरंतर ऑडिटिंग सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सिम पर्सनलाइजेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है।

ङ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ईसिम के लिए भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएं (आईटीएसएआर) जारी की है और यह दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) के अंतर्गत भी शामिल है। ई-सिम पर्सनलाइजेशन के लिए एसओपी प्रक्रियाधीन है।

******